"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70] रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल 2012—चैत्र 15, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2012 (चैत्र 15, 1934)

क्रमांक-5705/वि.स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 7 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) यह 1 अप्रैल, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम 56 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित छत्तीसगढ़ राज्य में लागू मूलभूत नियम के नियम 56 में, निम्नलिखित संशोधन निगमित किया जाये, अर्थात् :—

(एक) उप-नियम (1-क) में, शब्द "प्रत्येक शासकीय शिक्षक" के पश्चात् शब्द "उप-नियम (1-ङ) में विनिर्दिष्ट से भिन्न" अन्तःस्थापित किया जाए.

(दो) नियम 56 के उप-नियम (1-घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1-ङ) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय महाविद्यालय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शासकीय पॉलीटेक्निक संस्था, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षक संवर्ग का ऐसा सदस्य एवं राज्य शासन के नर्सिंग शिक्षण संस्था में नर्सिंग प्राध्यापक वर्ग का नर्सिंग में एम.एस.सी. सदस्य, जो केवल क्लासरूम (कक्षा) शिक्षण कार्य में लगा हो तथा जो गैर-शिक्षकीय अथवा प्रशासकीय पद को धारित न कर रहा हो, उस माह के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा:

परन्तु शिक्षक संवर्ग का ऐसा सदस्य जो शैक्षणिक पद पर धारणाधिकार रखता हो तथा जो प्रशासकीय पद को धारित कर रहा है, यदि पैंसठ वर्ष की आयु तक सेवा करना चाहता है तो उसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति हेतु विकल्प देना होगा :

परन्तु यह और कि शिक्षक सवंर्ग का ऐसा सदस्य जो इस उप-नियम के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होता है, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा."

स्पष्टीकरण :—इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "क्लासरूम (कक्षा) शिक्षण" का अर्थ होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52), दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16), भारतीय नर्सिंग कौंसिल अधिनियम, 1947 (1947 का 48), के अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत यथा प्राधिकृत कोई उपाधि या किसी अन्य अर्हता को प्रदान करने के लिए अग्रसर होते हुए किसी विषय या संकाय में पाठ्यक्रम या अध्ययन के कार्यक्रम का कक्षा में विद्यार्थियों को अध्यापन (शिक्षण)."

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

राज्य में उच्चतर शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की अत्यंत कमी है, जो उच्चतर शिक्षा (पद वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा) के सभी क्षेत्रों के लिए समुचित आयु समूह के युवाओं में कुल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में एक बड़ा अवरोध है. राज्य में उच्चतर शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक उपलब्ध कराने में राज्य शासन को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. अत: पात्र व्यक्तियों को शिक्षण में कैरियर बनाने के लिए आकर्षित करने तथा शिक्षकों को लंबे समय तक सेवा में बनाये रखने के लिए तथा तद्द्वारा क्लास रूम शिक्षा की रिक्तियों की यथेष्ट पूर्ति के साथ-साथ रिक्तियों में रोकथाम के लिए वास्तव में क्लास रूम शिक्षण कार्य में संलग्न शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि कर इसे 62 वर्ष से 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) में और संशोधन आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 30 मार्च, 2012

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) में संशोधन हेतु संबंधित धाराओं का सुसंगत उद्धरण—

धारा 2 — मूलभूत नियम में संशोधन

* * * * * * * * * * * * * *

56 अधिवार्षिकी आयु—

(1-क) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक शासकीय शिक्षक उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु कोई शासकीय शिक्षक, जिसकी जन्म तिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "शिक्षक" से अभिप्रेत है कोई ऐसा शासकीय सेवक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय शिक्षा संस्था में, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा संस्था भी है, अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई है, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं, और उसके अंतर्गत ऐसा शिक्षक भी होगा जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया है, और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो, बशर्ते वह संबद्ध "स्कूल/महाविद्यालयीन/तकनीकी" शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

* * * * * * * * * * * * * *

(1-घ) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का कोई सदस्य, (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर) तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची-एक में उल्लेखित किसी आयुर्वेद शिक्षक के पद पर नियक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित)

सेवा का ऐसा कोई सदस्य उस मास के, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का कोई सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय का सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक, उस मास के, जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा और यदि उसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो तो पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा :

परन्तु यह और कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर) तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची-एक में उल्लेखित किसी आयुर्वेद शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा.

परन्तु यह और भी कि 01 अप्रैल, 2007 और इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान (चिकित्सक अथवा चिकित्सा शिक्षक की) मृत्यु होने पर इस अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

स्पष्टीकरण-1— इस उपनियम के प्रयोजन के लिये "छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं और उसमें ऐसा चिकित्सा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित चिकित्सा शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो."

स्पष्टीकरण-2— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं और उसमें ऐसा आयुर्वेद शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित आयुर्वेद शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो."

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.